संख्या 516/सेवात–भूलेख/2017 दिनांक 31 जनवरी 2017

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 27990/16 अशोक कुमार पटेल व 21 अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार व 22 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.16 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में याचिका में वादी संख्या 8 श्री पारसनाथ भारती के प्रकरण की जांच हेतु गठित तीन अधिकारियों की समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 26.12.16 में यह उल्लिखित किया गया है कि लेखपाल चयन 2015 में प्रश्नगत याचिका के याची संख्या 8 श्री पारसनाथ भारती पुत्र श्री रामअधार राम,जिनका अनुकमांक 413219430173 तथा जनपद कमांक 1712 है द्वारा अनूसूचित जाति की कट आफ मेरिट से अधिक अंक प्राप्त किया गया है,परन्तु T.C.S. द्वारा इनको अनारक्षित श्रेणी (UR) में रखे जाने के कारण इनका चयन अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत नहीं हो सका है, जबकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रमाणित है कि श्री पारसनाथ भारती अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं।जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र हैं,जिसके फलस्वरूप इनको चयनित करने के लिये अनुसूचित जाति के कोटे से चयनित अन्तिम अभ्यर्थी का चयन निरस्त करने की आवश्यकता पायी गयी।जिसके अनुकम मेंसमिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अनुसूचित जाति के कोटे से अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के रूप में श्री अनूप कौशल पुत्र बुद्धि राम अनुकमांक 413120150376 जनपद कमांक 1590 को पाया गया। तद्कम में समिति ने अपनी विस्तृत आख्या में उपरिवर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए लेखपाल चयन 2015 की प्रकाशित अन्तिम चयन सूची दिनांक 23.05.16 एवं 25.05.16 में चयनित अभ्यर्थी श्री अनूप कौशल पुत्र बुद्धि राम अनुकमांक 413120150376 जनपद कमांक 1590 जो अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत अन्तिम चयनित अभ्यर्थी हैं, को असफल घोषित करते हुए इनका प्रश्नगत चयन निरस्त कर उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के कट आफ से अधिक अंक पाने वाले श्री पारसनाथ भारती पुत्र श्री रामअधार राम, अनुकमांक 413219430173 तथा जनपद कमांक 1712 है, को सफल घोषित करते हुए चयनित करने की संस्तुति की गयी है।

परीक्षण समिति की उरोक्त आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए लेखपाल चयन 2015 में सफल अभ्यर्थियों की वेवसाइट पर प्रकाशित अन्तिम चयन सूची दिनांक 23.05.16 एवं 25.05.16 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

क0	नाम	पिता का नाम	अनुकमांक	जनपद कमांक	पारित आदेश/अभ्युक्ति
1	श्री अनूप कौशल	श्री बुद्धि राम	413120150376	1590	इनको असफल घोषित करते हुए इनका चयन निरस्त किया जाता है तथा इनके स्थान पर श्री पारसनाथ भारती पुत्र श्री रामअधार राम, अनुकमांक 413219430173 तथा जनपद कमांक 1712 को को चयनित किया जाता है।
2	श्री पारसनाथ भारती	श्री रामअधार राम	413219430173	1712	इनको सफल घोषित करते हुए इनका चयन अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में किया जाता है तथा इनको श्री अनूप कौशल पुत्र बुद्धि राम अनुकमांक 413120150376 जनपद कमांक 1590 के स्थान पर चयनित किया जाता है।

कमांक 2 पर अंकित श्री पारसनाथ भारती को नवसृजित तहसील सेवराई में तैनात/संबद्ध किया जाता है,जहां नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उपजिलाधिकारी सेवराई प्रथम नियुक्ति के पूर्व की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर नियमानुसार प्रश्नगत सूची द्वारा नवचयनित लेखपाल अंभ्यर्थियों की भांति इनकी लेखपाल पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।

आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त। 516(i)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0 प्र0 अनुभाग–4 लखनऊ।
2–आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)गाजीपुर।
4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से कि आज ही जनपद की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सेवराई।
6–संबन्धित अभ्यर्थी को सूचनार्थ।

28/01/17

जिलाधिकारी
गाजीपुर।

Scanned by CamScanner